न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या :—50 / 2025

प्रार्थीः—

बाबुसिंह पुत्र हनवन्तसिंह जाति राव निवासी राखी तहसील समदड़ी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
2. कमलादेवी पत्नी चन्द्रभान
3. भूपेन्द्रसिंह पुत्र चन्द्रभान
4. विक्रमसिंह पुत्र चन्द्रभान

   जाति राव निवासी राखी तहसील समदड़ी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—श्री श्रवण जांगीड़
प्रार्थी वकील

—:: आदेश ::— दिनांक :—10.09.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1061, 439 व 446 कुल रकबा 07.4462 हैक्टेयर ग्राम राखी तहसील समदड़ी में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात—यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, जनाधार कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, सहकारी किसान कार्ड व ग्राम पंचायत राखी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उसका वास्तविक नाम बाबुसिंह ही अंकित है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम बाबुसिंह के स्थान पर शंकरलाल लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 2 से 4 की [illegible] इकबाली जवाब पेश हुआ। तहसीलदार समदड़ी के पत्र क्रमांक मू.[illegible]/2025/2[illegible] दिनांक 08.09. 2025 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम [illegible] के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने [illegible]धार कार्ड, राशन कार्ड, [illegible] परिचय पत्र, जनाधार कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, सहकारी किसान कार्ड व ग्राम पंचायत राखी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.10.11 11:37:26 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि उनका वास्तविक नाम बाबुसिंह है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का त्रुटिवश नाम शंकरलाल लिख दिये जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, जनाधार कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, सहकारी किसान कार्ड व ग्राम पंचायत राखी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में उनका नाम बाबुसिंह दर्ज है। तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम बाबुसिंह होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम राखी तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 1061, 439 व 446 कुल रकबा 07.4462 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम 'शंकरलाल' के स्थान पर 'बाबुसिंह उर्फ शंकरलाल' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदड़ी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.10.11 11:37:26 IST
Reason: SelfAttested